कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-278/2023 दिनांक-30.08.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना निजामाबाद

मोबाइल छिनैती करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –दिनांक 29.08.23 को वादी मुकदमा श्री सुमित यादव पुत्र मोती चन्द निवासी मदारदाड़ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा उनके साथ दिनांक 04.08.2023 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की मोबाइल को डरा धमकाकर गाली गलौज करते हुए मोबाइल की छिनैती की गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 382/23 धारा 382/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक- 30.08.2023 को उ0नि0 मोहम्मद शमशाद खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. मो0 आकिब पुत्र मो0 साजिद निवासी दाउदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. परवेज आलम पुत्र शाह आलम निवासी बैराडीह थाना देवगांव जिला आजमगढ़ 3. मो0 अब्दुल्ला पुत्र निसार अहमद निवासी फूलपुर शबाना आजमी रोड थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ को 01 मोबाइल, 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय सुबह 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दाउद पुत्र मो0 अकरम निवासी फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया तथा माल बरामदगी के आधार पर धारा 411/413 भादवि व अभियुक्त मो0 आकिब उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अतिरिक्त की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0- 382/23 धारा 382/504/506/411/413 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – 1. मो0आकिब उपरोक्त के विरुद्ध

मु0अ0सं0 0096/21 धारा 379/411 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

2. परवेज आलम उपरोक्त के विरुद्ध

i. मु0अ0सं0 186/15 धारा 147/323/504/506/452 भादवि व धारा 3(1) X एससी/एसटी एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

ii. मु0अ0सं0- 270/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मो0 आकिब पुत्र मो0 साजिद निवासी दाउदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. परवेज आलम पुत्र शाह आलम निवासी बैराडीह थाना देवगांव जिला आजमगढ़
3. मो0 अब्दुल्ला पुत्र निसार अहमद निवासी फूलपुर शबाना आजमी रोड थाना फूलपुर जिला आजमगढ़

बरामदगी- 01 अदद मोबाईल वन प्लस C3 LITE तथा 01 तमंचा व 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मो0 शमशाद खा मय हमराह थाना निजामाबाद, आमजगढ

थाना- देवगांव

चोरी गये चेन व अंगुठी के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- वादिनी ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की भांजी ज्यौति राय व सुभम राय द्वारा वादिनी के घर से दो सोने की चेन , तीन सोने की अंगूठी , दो सोने की बाली , एक टप्स व 7500 रूपया चोरी की गयी, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 393/2023 धारा 379 भादवि की विवेचना उ0नि0 गौरव कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 30.08.2023 को उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता ज्योति राय को लालगंज देवगांव मोड़ हाइवे के पास से पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से एक पीली धातु की चेन व एक पीली धातु का अंगुठी बरामद हुआ उक्त के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछने पर बतायी कि मेरे माता पिता कि मृत्यु के पश्चात् मैं अपने मामा जयप्रकाश राय पुत्र कैलाश राय निवासी माधोपुर धरांग के घर रहती हुँ। दिनांक 19.08.2023 को मैं शुभम राय पुत्र अशोक राय निवासी चौकी थाना बरदह आजमगढ़ के साथ मिलकर 02 चैन , 02 अंगुठी व कुछ रुपये चुराये थे। एक चैन व एक अगुठी शुभम के पास है तथा एक चेन व एक अंगुठी बेचने हेतु लालगंज आई थी। चोरी के पश्चात् हम लोग शुभम के गांव चले गये थे। आज यही गहने बेचने आई थी। कि आप लोगों ने पकड़ लिया । अभियोग उपरोक्त में धारा 411 IPC की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्ता ज्योति राय उपरोक्त को अपराध का बोध कराते हुए अंतर्गत धारा 379/411 IPC में समय 12.20 बजे म0आ0 वन्दना की अभिरक्षा में हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 393/2023 धारा 379,411 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़ जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- एक अदद चोरी की चैन व अदद अंगूठी

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. ज्योति राय पुत्री स्व0 कैलाश राय निवासी सराय पलटू थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह थाना देवगांव, आजमगढ़

थाना- बरदह

मोबाइल व रूपये की छिनैती करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 29.08.23 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि कि जिवली में अभियुक्त अरविन्द S/O लौटन व राधेश्याम S/O अज्ञात निवासीगण ग्राम बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा मेरा मोबाइल फोन व भाडे का पैसा लगभग 400 रुपये छिनकर भाग गये व जाते समय मेरे आटो का शीशा भी तोड दिये उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 354/23 धारा 392/427 भादवि बनाम अरविन्द S/O लौटन व राधेश्याम S/O अज्ञात निवासी गण ग्राम बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 29.08.2023 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द पुत्र लौटन निवासी बरदह थाना बरदह आजमगढ़ को एक विवो मोबाइल व दो सौ रुपया के साथ बरदह पावर हाउस से समय 19.40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त राधेश्याम S/O स्व0 जयनाथ R/O बरदह जनपद आजमगढ़ को 200/- रुपया के साथ दिनांक 30/08/23 को समय मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 354/23 धारा 392/427/411 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अरविन्द पुत्र लौटन निवासी बरदह थाना बरदह आजमगढ़
2. राधेश्याम S/O स्व0 जयनाथ R/O बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. एक विवो मोबाइल व दो सौ रुपया बरामद हुआ (अभियुक्त अरविन्द)
2. 200/- रुपया (अभियुक्त राधेश्याम)

गिरफ्तारी करने वाली टीम – 1. व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह थाना बरदह आजमगढ़